

**बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग**

अधिसूचना

अधि०सं०- निग/सारा- (यो० एवं वि०) आरोप-48/2023

6798(S)

पटना, दिनांक २२/१२/२४

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5640 दिनांक-20.12.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-01, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत सोलर लाईट अधिष्ठापन कार्य की राशि से रख-रखाव हेतु काटी गयी 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि का अनियमित भुगतान कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने के आलोक में आरोप पत्र गठित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु इस विभाग से अनुरोध किया गया गया। उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1740 (एस) अनु० दिनांक-10.04.2024 के द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उनके द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन दिनांक-10.06.2024 को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापक-5665(एस)अनु० दिनांक-18.11.2024 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित आनुशासनिक कार्यवाही में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप निम्नवत है :-

(i) श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-01, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत अधिष्ठापित सोलर लाईट के रख-रखाव हेतु विपत्र से कटौती की गयी 10 प्रतिशत की राशि का भुगतान समय से पूर्व ही संवेदक को कर दिया गया। फलतः सोलर लाईट का समुचित देखभाल एवं रख-रखाव प्रभावित हुआ है। जिससे सरकार के उद्देश्य पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है।

2. श्री सिंह के विरुद्ध उक्त आरोपों के लिए संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 219 (अनु०)दिनांक 03.12.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध गठित मात्र एक आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत उक्त मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-391 (एस) अनु० दिनांक-20.01.2026 के द्वारा श्री सिंह से प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी।

4. उक्त के आलोक में श्री सिंह के अभ्यावेदन दिनांक-29.03.2026 के द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया कि जिला योजना कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 के लिए सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु दिनांक-28.09.2019 को सफल संवेदक M/S San Energy & Solution और जिला योजना पदाधिकारी के बीच अनुबंध किया गया था, जिसके अनुसार 10 प्रतिशत सुरक्षित राशि को भुगतान नहीं किये जाने का प्रावधान नहीं था। भुगतान का आदेश देने के पूर्व कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि सभी कार्य पूर्णरूप से सम्पन्न हैं एवं रख-रखाव भी एकरारनामा की शर्तों के अनुसार हो रहा है। अतः सरकार के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य एजेंसी की माँग रुपये 1,71,24,752/- के भुगतान RTGS के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई जबकि कुल सुरक्षित जमा राशि रुपये 3,20,79,568/- है। अतः इसे बिहार सरकार को किसी भी प्रकार का गंभीर वित्तीय हानि नहीं पहुँची है।

(७४) आई.पी.एन.ए.जी.ए.

5. श्री सिंह के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन के विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक-1929 दिनांक-22.04.2015 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सोलर लाईट के अधिष्ठापन हेतु दिशा निर्देश निर्गत है, जिसकी कंडिका - 6 (ख) (iii) में प्रावधानित है कि "जिला क्रय समिति द्वारा अनुमोदित न्यूनतम दर पर आपूर्तिकर्ता को सोलर लाईट अधिष्ठापन एवं इसके 05 वर्षों तक रख-रखाव का एकरारनामा करते हुए क्रयादेश निर्गत किया जायेगा। इसमें अधिष्ठापन के उपरांत 90 प्रतिशत की राशि का भुगतान एवं 05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 10 प्रतिशत की राशि के भुगतान के साथ शामिल होगा।" साथ ही कंडिका-6(ख) (vi) में प्रावधानित है कि "जाँचोपरान्त अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता आपूर्तिकर्ता से प्राप्त विपत्र के आधार पर 90 प्रतिशत राशि भुगतान करेंगे। 05 वर्ष की समाप्ति पर रख-रखाव का कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत अवशेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।" अतएव, इस नियम के रहते हुए श्री सिंह द्वारा यह कहना कि इस संबंध में कोई विभागीय आदेश/निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार उक्त स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद भी श्री सिंह द्वारा आलोच्य योजनान्तर्गत सोलर लाईट अधिष्ठापन कार्य की राशि से रख-रखाव हेतु काटी गयी 10 प्रतिशत सुरक्षित जमा राशि का अनियमित रूप से संवेदक को किये गये भुगतान के संबंध में दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उपर्युक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक-29.03.2026 को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत उनके पेंशन से 05 % (पाँच प्रतिशत) की कटौती पाँच वर्षों तक किये जाने का दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में माननीय मंत्री, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-4424 (एस) अनु0 दिनांक-30.06.2026 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की माँग की गयी। स्मारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-1694 दिनांक-13.08.2026 से प्राप्त परामर्श में सरकार द्वारा निर्णित दंड पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में आरोपी श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-01, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन/निवेदन दिनांक-29.03.2026 को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

(क) इनके पेंशन से 05 % (पाँच प्रतिशत) की कटौती पाँच वर्षों तक।

8. दण्ड प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राकेश कुमार)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :- निग/सारा- (यो0 एवं वि0) आरोप-48/2023

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-
प्रतिलिपि :-

निग/सारा- (यो0 एवं वि0) आरोप-48/2023

पटना, दिनांक

प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित (द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना)।
अनु0-यथोक्त।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

ज्ञापांक :-
प्रतिलिपि :-

निग/सारा- (यो0 एवं वि0) आरोप-48/2023

सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव/बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-01, मुजफ्फरपुर/उप सचिव, मुख्यालय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, S/O Late Thakur Prasad Singh, R/O Mundeshwari Crisent, Near Khagol Road, E-6, R.P.S. More, Mainpura, Patna Mobile No 9304886539 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22/9/26

ज्ञापांक:-
प्रतिलिपि :-

निग/सारा- (यो0 एवं वि0) आरोप-48/2023

अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

21.09.26